न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 145/2014

1 भंवरलाल पुत्र केसर।
2 श्रीमती लाडा देवी बेवा ईशर।
3 महावीर पुत्र ईशर।
4 रघुवीर पुत्र ईशर समस्त जाति बलाई निवासीगण कटराथल तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती भगवानी देवी बेवा फुसाराम।
2 मालाराम पुत्र फुसाराम।
3 गजानन्द पुत्र फुसाराम।
4 अजय पुत्र फुसाराम।
5 रामस्वरूप पुत्र फुलाराम।
6 लिछमण पुत्र रूपाराम समस्त जाति नट निवासीगणा कटराथल तहसील व जिला सीकर।
7 उप पंजियक सीकर तहसील व जिला सीकर।
8 पटवारी हल्का कटराथल तहसील व जिला सीकर।
9 महबूब बेग पुत्र मुनीर बेग मिर्जा जाति मुसलमान निवासी कटराथल तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 10.11.2014 मुकदमा नम्बर 68/2014 बउनवानी श्रीमती भगवानी देवी बनाम भंवरलाल वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पोकरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 01.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 68/2014 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 से 9 के विरूद्व विचारण न्यायालय में एक वाद बाबत उद्घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा एवं वाद के साथ आवेदन 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 566 रकबा 1.87 हैक्टेयर, खसरा नम्ब 574 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 575 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 506 रकबा 1.47 हैक्टेयर वाके कटराथल तहसील व जिला सीकर के पुराने खसरा नम्बर 596,603,616 थे इनके पुराने खसरा नम्बर 603 नये खसरा नम्बर 566 वादीगण/प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमियां है। पूर्व में वादीगण के दादा व पिता काश्त करते थे व वर्तमान में वादीगण काश्त कर रहे है जो नट जाति के है तथा अपना हुनर दिखाकर पेट पालते है। पुराने खसरा नम्बर 603 की खातेदारी संवत 2014 से 2017 तक वादीगण के पूर्वजो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सजरत अपील अधिकारी
सीकर

के नाम से रही है तत्पश्चात संवत 2026 से 2029 की जमाबंदी में मोटा पुत्र लादू जाति रावणा राजपूत के नामं से दर्ज हो गयी व वर्तमान में प्रतिवादी/अप्रार्थीगण /अपीलांट के नाम है इसलिये अप्रार्थीगण/अपीलांट को प्रतिबंधित फरमाया जावें। अपीलांट/अप्रार्थीगण ने उक्त आशय के आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 566 जिसके पुराने खसरा नम्बर 603 से प्रार्थीगण/वादीगण का कोई सम्बंध सरोकार नही है। इनका या इनके पूर्वजो का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है न ही कभी इस भूमि के प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट या इनके पूर्वज कभी खातेदार रहे है बल्कि भूमि खसरा नम्बर 566 अपीलांट के पूर्वजो के समय से हक अधिकार की भूमि रही है जिस पर अपीलांट के पूर्वज मोटा पुत्र लादू जाति बलाई राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के पूर्व से ही अर्थात जागीरदारी के समय से काबिज़ काश्त रहे है जिन्हे बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है संवत 2026 से 2028 की जमाबंदी में अपीलांट के पूर्वज की जाति दरोगा अंकित होने से कोई विपरित प्रभाव नही पड़ता, क्योंकि जाति का सम्बंध जन्म से होता है न ही जाति गलत लिख देने मात्र से प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट को कोई अधिकार प्राप्त होते है। संवत 2047 से 2050 की अवधि में वादग्रस्त भूमि का मोटा पुत्र लादू जाति चमार की विरासत का नामान्तकरण संख्या 343 दिनांक 09.06.1992 को अपीलांट के पिता व पति अर्थात मोटाराम के पुत्रगण ईश्वर व केशर के नाम तस्दीक किया गया है तथा मोटा उर्फ मोटला पुत्र लादू जाति चमार नाम का अन्य कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज या बिरादरी में अपीलांट के पूर्वज के अलावा अन्य कोई नही था इसलिए आवेदन 212 आरटीएक्ट खारिज किया जावें। इस पर विचारण न्यायालय ने आदेश पारित कर प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट का आवेदन 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलांट को ट्रांसफर नही करने व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का दिनांक 10.11.2014 को निर्णय पारित कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि संवत 1998 में साबिक खसरा नम्बर 603 रूपा, शंकर, श्योनाथ, पिसरान, बिंजा बहिस्सा बराबर 3/4 रतना वल्द श्योबक्सा हिस्सा 1/4 कौम नट दर्ज होना व जमाबंदी संवत 2014 से 2017 के क़ॉलम तीन भूधारको के नाम में साबिक खसरा नम्बर 603 रूपा, शंकर, श्योनाथ, पिसरान बिंजा हिस्सा 3/4 रतना पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/4 जाति नट दर्ज होना तथा खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2014 में खातेदार का नाम में कॉलम संख्या 5 मे उपरोक्त परिविष्टी दर्ज होना को निर्णय का आधार मानते हुए प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रतीत होना मान्य किया है। जबकि जमाबंदी संवत सन् 1998 में जागीरदार के कॉलम में तो उपरोक्त प्रविष्टियां दर्ज है परन्तु खातेदार के कॉलम में स्पष्ट रूप से मोटला पुत्र लादू चमार सा देह दर्ज है व संवत 2014 से 2017 की जमाबंदी में भी उपरोक्तानुसार अपीलांट के पूर्वज मोटला पुत्र लादू चमार नि0 देह खातेदार खुद काश्त खातेदार ही अंकित है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2014 में भी मोटला पुत्र लादू चमार ही काश्तकार के कॉलम में अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट के पूर्वज या स्वंय रेस्पोडेंट पुराने खसरा नम्बर 603 में खातेदार व काश्तकार नही रहे है। भूमि पुराने खसरा नम्बर 603 नये खसरा नम्बर 566 वाके ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर अपीलांट के खाते कब्जे काश्त की पूर्वजो के समय से रही है। जिसका स्पष्ट अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2014 में है तथा भूमि का लगान भी अपीलांट के पूर्वज मोटला पुत्र लादू चमार ने ही अदा किया, जिसकी लगान की रसीदे अपीलांट के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गयी। परन्तु उक्त गिरदावरी व लगान की रसीदो का कोई विवेचन व विश्लेषण नही कर अपना निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार का राजस्व रिकार्ड प्रार्थी रेस्पोडेंट के पक्ष में नही होने के उपरान्त भी विचाराधीन निर्णय पारित कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अत अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश कर तर्क दिया कि पत्रावली में उपलब्ध खतोनी जमाबंदी मौजा कटराथल तहसील सीकर ठिकाना सीकर संवत 1998 में साबिक खसरा नम्बर 603 रूपा,शंकर,श्योनाथ पिसरान बींजा बहिस्सा बराबर हिस्सा 3/4 रतना वल्द श्योबक्सा हिस्सा 1/4 कौम नट सा0 देह में दर्ज है। जमाबंदी ग्राम कटराथल संवत 2014 – 2017 के कॉलम तीन भू–धारकों का नाम में साबिक खसरा नम्बर 603 रूपा,शंकर, श्योनाथ पिसरान बींजा बहिस्सा 3/4 रतना पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/4 जाति नट दर्ज है। गिरदावरी ग्राम कटराथल संवत 2011–2014 में खातेदार का नाम के कॉलम नम्ब 5 में भी उपरोक्तानुसार ही प्रविष्टि दर्ज है। उक्त वृतान्त से भी विवादित भूमि रेस्पोडेंट की होने की पुष्टि भलीभांति होती है। रेस्पोडेंटगण के पूर्वजों के नाम जमाबंदी संवत 2011 से 2014 में खातेदार रतना वल्द श्योनाथ का नाम दर्ज है जो रेस्पोडेंट संवत 01 का जेठ था तथा अन्य रेस्पोडेंट का ताऊ एवं मोटा उप कृषक था इसके बाद विवादित आराजी दरोगा के नाम इसके बाद रावणा राजपूत के नाम व बाद में बलाई के नाम दर्ज हो गई। विवादित आराजी में वर्तमान खातेदारों के नाम गलत रूप से दर्ज किये गये है। वर्तमान खातेदारों के नाम राजस्व रिकार्ड में किसी न्यायालय के आदेश से अथवा नामान्तक़रण के जरिये दर्ज नहीं किये गये और ना ही धारा 19 के तहत खातेदारी प्राप्त हुई है। जिससे स्पष्ट होता है कि वर्ततान खातेदारो नें रिकार्ड में अपने नामों की प्रविष्टि गलत रूप से अवैध तरीकों से जालसाजी से बेईमानी से रेस्पोडेंट की भूमि को हड़पने की नियत से करवाई है। विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो घटको का बिन्दुवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत रूप से पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत 1998 में साबिक खसरा नम्बर 603 रूपा, शंकर, श्योनाथ, पिसरान, बिंजा बहिस्सा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बराबर 3/4 रतना वल्द श्योबक्सा हिस्सा 1/4 कौम नट दर्ज होना व जमाबंदी संवत 2014 से 2017 के कॉलम तीन भूधारको के नाम में साबिक खसरा नम्बर 603 रूपा, शंकर, श्योनाथ, पिसरान बिंजा हिस्सा 3/4 रतना पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/4 जाति नट दर्ज होना तथा खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2014 में खातेदार का नाम में कॉलम संख्या 5 मे उपरोक्त परिविष्टी दर्ज होना को निर्णय का आधार मानते हुए प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रतीत होना मान्य किया है।' जबकि जमाबंदी संवत सन् 1998 में जागीरदार के कॉलम में तो उपरोक्त प्रविष्टियां दर्ज है परन्तु खातेदार के कॉलम में स्पष्ट रूप से मोटला पुत्र लादू चमार सा देह दर्ज है व संवत 2014 से 2017 की जमाबंदी में भी उपरोक्तानुसार अपीलांट के पूर्वज मोटला पुत्र लादू चमार नि0 देह खातेदार खुद काश्त खातेदार ही अंकित है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2014 में भी मोटला पुत्र लादू चमार ही काश्तकार के कॉलम में अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट के पूर्वज या स्वंय रेस्पोडेंट पुराने खसरा नम्बर 603 में खातेदार व काश्तकार नही रहे है। भूमि पुराने खसरा नम्बर 603 नये खसरा नम्बर 566 वाके ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर अपीलांट के खाते कब्जे काश्त की पूर्वजो के समय से रही है। जिसका स्पष्ट अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2014 में है तथा भूमि का लगान भी अपीलांट के पूर्वज मोटला पुत्र लादू चमार ने ही अदा किया, जिसकी लगान की रसीदे अपीलांट के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गयी। परन्तु उक्त गिरदावरी व लगान की रसीदो का कोई विवेचन व विश्लेषण नही कर अपना निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार का राजस्व रिकार्ड प्रार्थी रेस्पोडेंट के पक्ष में नही होने के उपरान्त भी विचाराधीन निर्णय पारित कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1-4-22
वकील अपीलांट के आवेदन [illegible]
[illegible]
पालना 18-4-22 तक [illegible] की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर